National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 622-623

भारतीय उच्चतम न्यायालय : इच्छा मृत्यु का अधिकार

गुरप्रीत सिंह
बी.एड. छात्र, नेहरू कालेज ऑफ एजुकेशन, अलीकां (सिरसा), हरियाणा, भारत।

प्रस्तावना

"जीवन दिव्य ज्योति है। मृत्यु जीवन से अलग नहीं हो सकती। वह जीने का हिस्सा है। मशीनों से मिली मोहलत सम्मान खंडित करती है।"[1]

श्री दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत
श्री खानविलकर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत

जीवन ईश्वर की देन है प्रसन्नतापूर्वक जीना ही जिंदगी है पर जब जीवन असाध्य रोगों से घिर जाये और रोग लाइलाज हो जाए तो ऐसी बदतर जिंदगी से अच्छा सम्मानजनक मौत है। इच्छा मृत्यु पर दुनिया भर में बहस जारी है कि जब व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तो उसे मृत्यु का अधिकार क्यों नहीं। पूरे विश्व में इस कानून की मांग बढ़ रही है पर इच्छा मृत्यु की मांग बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च,2018 को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया के अधिकार को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। कॉमन कॉज एनजीओ की याचिका पर चीफ जस्टिस सहित 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'जीने के मौलिक अधिकार में गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का इच्छा मृत्यु का अधिकार देने का फैसला भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और भारत में इच्छा मृत्यु पर लम्बे समय से चली आ रही बहस पर भी विराम लग गया है।

भारतीय उच्चतम न्यायालय में इच्छा मृत्यु पर घटनाक्रम

उच्चतम न्यायालय नें 11 मई,2005 को कॉमन कॉज एनजीओ की याचिका को मंजूरी दी व न्यायालय नें केंद्र से संविधान के अनुच्छेद 21 पर जवाब मांगा। 16जनवरी,2006 को दिल्ली चिकित्सा परिषद को हस्तक्षेप की स्वीकृति दी। 7 मार्च, 2011 को अरूणा शानबाग की ओर से दायर याचिका पर अस्पताल में निष्क्रिय पड़ी नर्स को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। 23 जनवरी,2014 को तत्कालीन सीजेआइ पी. सताशिवम की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की। 25 फरवरी,2014 को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पर जनहित याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा। 15 जुलाई,2014 को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई शुरू की। 15 फरवरी,2016 को केन्द्र ने कहा कि वह मामले पर विचार कर रही है। सीजेआइ दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 अक्तूबर,2017 को दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रखा। 9 मार्च,2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में इच्छा मृत्यु की इजाजत दी।[2]

लिविंग विल और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देने का केन्द्र सरकार ने विरोध किया था। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी पीएस नरसिंहम ने कहा था कि यह हिप्पोक्रेटिक शपथ (डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए दिलवाई जाने वाली शपथ) का उल्लंघन होगा क्योंकि यह मरीज को जानबूझकर / इरादतन मारने के खिलाफ है। सरकार ने कहा था कि यह दर्द, कष्ट, पुनर्वास, और बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सांइस की तरक्की के लिए घातक होगा। कोई व्यक्ति एक समय पर मरने की इच्छा जाहिर कर सकता है और उसकी यह इच्छा दृढ़ नहीं हो सकती है। इसके पीछे अस्थाई तनाव और अवसाद भी हो सकता है।[3]

इच्छा मृत्यु क्या है

लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द से मुक्ति देने के लिए डॉक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना है। यह दो प्रकार की होती है

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु: अगर कोई लंबे समय से मरीज कोमा में है तो उसके परिवार वालों की इजाजत पर उसे जीवन रक्षक उपकरणों से हटा लिया जाता है उसकी दवाएं बंद कर दी जाती है और मरीज का खाना व पानी बंद कर दिया जाता है। इसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसकी इजाजत दी है।सक्रिय इच्छा मृत्यु : इसमें मरीज को जहर के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर मौत दी जाती है। भारत सहित अधिकतर देशों में सक्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं है।

इच्छा मृत्यु की श्रेणियां

व्यक्ति की सहमति या असहमति के आधार पर इसको प्रमुख दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है

स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु : यदि कोई मरीज असाध्य कष्ट से पीड़ित है और वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है तो वह डाक्टर की मदद ले सकता है।

बेल्जियम,लग्जमबर्ग,हॉलैंड,स्विटजरलैंड,जर्मनी और अमेरीका में इसको कानूनी मान्यता मिली हुई है

गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु : यदि किसी मरीज की ऐसी हालात नहीं है कि वह इसके लिए सहमति दे सके।

हॉलैंड में विशेष परिस्थितियों में इसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दुनिया में यह पूरी तरह से
गैर कानूनी है।

लिविंग विल क्या है

लिविंग विल वह दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति जीवित रहते मौत की वसीयत कर यह मांग कर सकता है
कि अगर भविष्य में वह स्वास्थ्य से जुड़ी लाइलाज या मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाए तो उसके जीवन रक्षक
उपकरण हटा लिए जाएं। कोर्ट ने कुछ शर्ते रखी है जो निम्नलिखित है

लिविंग विल बनाने की प्रकिया

जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है वह इच्छा मृत्यु की वसीयत लिख सकता है। लिविंग विल दो गवाहों की मौजूदगी में बनेगा जिसे फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रमाणित करेगा। इसकी चार कापी बनेगी। एक परिवार के पास और अन्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,डिस्ट्रिक्ट जज और नगर निगम या नगर परिषद या ग्राम पंचायत के पास रहेगी।यदि दो वसीयतें लिखी गई हैं तो जो सबसे बाद में लिखी गई है वही मान्य होगी।

लिविंग विल पर अमल की प्रकिया

बीमारी लाइलाज होने पर इच्छा मृत्यु दी जा सकेगी पर परिवार की मंजूरी जरूरी है। परिवार को अपने राज्य के हाईकोर्ट में याचिका देनी होगी। कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश बनाए हैं कि जो व्यक्ति इच्छा मृत्यु की वसीयत नहीं लिख सके है, ऐसे लोगों के परिजन अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट जा सकते है हाईकोर्ट मैडीकल बोर्ड का गठन करेगा। मैडीकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली से हटाया जा सकेगा। सरकार के कानून बनाने तक ये दिशा निर्देश लागू रहेंगे।

विश्व के इन देशों में है इच्छा मृत्यु का अधिकार

इच्छा मृत्यु का अधिकार विश्व के 21 देशों में लागू है। भारत इच्छा मृत्यु के अधिकार को लागू करने वाला 22 वां देश बन गया है। स्विटजरलैंड, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, अलबानिया, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, चीन,न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, डेनमार्क,फ्रांस,रोमनिया,फिनलैंड में इच्छा मृत्यु का अधिकार है। इसके इलावा अमेरीका के 7 और ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य में भी इसका कानून है। कई देशों में मामला कोर्ट में चल रहा है।[4]

इच्छा मृत्यु के अधिकार से कुछ आशंकाएं

चाहे इच्छामृत्यु के अधिकार से असाध्य रोग से पीड़ित मरीज को नरक के समान हो चुके जीवन से छुटकारा मिलेगा पर साथ ही इसके दुरूपयोग की आशंकाएं भी है।

- यह सवाल भी उठ रहा है कि असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों पर इच्छामृत्यु की वसीयत लिखने का परिवार द्धारा दबाव बनाया जा सकता है।[5]
- विधि विशेषज्ञों के मुताबिक,लिविंग विल के बाद ऐसे बुजुर्गो पर अत्यचार बढ़ सकता है,उनकी उपेक्षा हो सकती है। जबरन उन्हे मौत के मुंह में ढकेला जा सकता है।[6]
- इस फैसले के बाद देखभाल कर्मी ऐसे बुजुर्गो को नजरअंदाज कर सकते है या फिर उन्हे निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए मजबूर कर सकते है।[7]
- यह कष्ट,पुनर्वास और बीमारियों के इलाज के लिए मैडीकल विज्ञान की तरक्की के लिए घातक है।[8]
- इच्छामृत्यु देने वाले डाक्टर पर मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है।[9]
- कोई व्यक्ति एक समय पर मरने की इच्छा जाहिर कर सकता है पर बाद में यह बदल भी सकता है[10]
- अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोई व्यक्ति यह भी घोषणा या वसीयत कर सकता है कि उसे कदापि इच्छामृत्यु नहीं चाहिए।[11]

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश जारी करके उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है जो निर्णय और सरकार के विधेयक के बीच फंसी हुई थी। अब जीवन के साथ–साथ इच्छा मृत्यु का अधिकार भारत में लागू हो चुका है। अपने फैसले में न्यायधीश एके सीकरी ने कहा,'स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। साथ यह भी कड़वा सच है कि गरीबी आदि के कारण हर कोई इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है। राज्य सभी नागरिकों को यह अधिकार देनें की स्थिति में नहीं है। इसलिए जब नागरिकों को स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी नहीं है तो क्या उन्हें सम्मान के साथ मरने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।'[12] अब सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को समाप्त करना चाहिए। भारतीय सरकार को संसद में विधेयक लाकर इच्छा मृत्यु से सम्बधित नियमों को पारित करना चाहिए क्योंकि भारत में इच्छा मृत्यु के अधिकार का दुरूपयोग न हो सके।

"मानवीय अस्तित्व की गरिमा होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि मौत के समय की जिंदगी गरिमामय हो। ऐसे में व्यक्ति को अपनी मृत्यु के चयन का अधिकार हो।"[13]

श्री डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत

सन्दर्भ

1. दैनिक भास्कर,10 मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 01
2. प्रभात खबर, 10 मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 17
3. हिन्दुस्तान,10मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 11
4. दैनिक भास्कर,10 मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 23
5. राजस्थान पत्रिका नई दिल्ली,10 मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 17
6. वही पृष्ठ क्र. 17
7. वही पृष्ठ क्र. 17
8. हिन्दुस्तान,10मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 01
9. वही पृष्ठ क्र. 01
10. वही पृष्ठ क्र. 01
11. दैनिक जागरण,13मार्च,2018, पृष्ठ क्र. 09
12. वही पृष्ठ क्र. 09
13. दैनिक भास्कर,10 मार्च,2018,पृष्ठ क्र. 01